न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः-93/2016/टोंक (2016/00079)

1. प्रेमदेवी पत्नि तेजपाल, जाति नाथ, नि0 उनियारा, तहसील उनियारा, जिला टोंक, हाल शिवाड़, तह0 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर ।
2. औमप्रकाश पुत्र तेजपाल, जाति नाथ, नि0 शिवाड़, तह0 चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोत्या पत्नि राधेश्याम, जाति नाथ, नि0 हीरापुर, जिला बून्दी, हाल मकान नंबर 21, विश्वा मित्र नगर, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर ।
2. राजेश पुत्र मोत्या देवी, जाति नाथ, नि0 हीरापुर, जिला बून्दी, हाल मकान नंबर 21, विश्वा मित्र नगर, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर ।
3. जितेन्द्र पुत्र मोत्या देवी, जाति नाथ, नि0 हीरापुर, जिला बून्दी, हाल मकान नंबर 2, विश्वा मित्र नगर, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर ।
4. सीमा देवी पुत्री मोत्या देवी, जाति नाथ, नि0 हीरापुर, जिला बून्दी, हाल मकान नंबर 21, विश्वा मित्र नगर, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, टोंक दिनांक 29.6.2016 अंतर्गत अपील संख्या 2/2009.

उपस्थितः-

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः-30.11.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स स्व0 तेजपाल की विवाहित पत्नि एवं पुत्र है । तेजपाल की मृत्यु पश्चात् उसकी पेंशन अपीलांट प्रेमदेवी पत्नि तेजपाल को प्राप्त हो रही है तथा वह तेजपाल की नॉमिनी भी है । तेजपाल की मृत्यु के उपरांत तहसीलदार, उनियारा ने नामांतकरण संख्या 1203 दिनांक 18.12.2007 को स्वीकार करते हुए विवादित नामांतकरण अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये । नामांतकरण संख्या 1203 दिनांक 18.12.2007 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर, टोंक ने निर्णय दिनांक 29.6.2012 को अपीलांट्स की अपील अस्वीकार करते हुए तहसीलदार, उनियारा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1203 को यथावत् रखा ।अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स स्व0 तेजपाल की क्रमशः विवाहित पत्नि एवं पुत्र है । रेस्पो0 संख्या 1 तेजपाल की पत्नि नहीं है बल्कि वह राधेश्याम, निवासी हीरापुरा की विवाहिता पत्नि है । स्व0 तेजपाल राजकीय सेवा में था एवं उसकी मृत्यु उपरांत पेंशन विभाग द्वारा अपीलांट प्रेमदेवी को स्व0 तेजपाल की पत्नि मानते हुए उसके नाम से पेंशन दी जा रही है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि तेजपाल व अपीलांट का कभी भी विवाह विच्छेद नहीं हुआ है तथा प्रथम पत्नि को तलाक दिये बिना यदि तेजपाल दूसरी पत्नि रखता है तो भी वह विवाह हिन्दू विधि विरूद्ध होने से शून्य है तथा दूसरी अवैध पत्नि को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा स्वंय को तेजपाल की पत्नि व वारिस बताकर नामांतकरण संख्या 1203 तस्दीक करवाया गया है तथा तहसीलदार ने भी प्रश्नगत नामांतकरण तस्दीक करते समय बिना जांच किये नामांतकरण निर्णित किया है जो पूर्णतया अवैध एवं शून्य है तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने भी अवैध एवं विधि विरूद्ध पारित नामांतकरण संख्या 1203 को यथावत् रखने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट प्रेमदेवी ने स्व0 तेजपाल के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 125 सी0आर0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, एवं इस प्रकरण में स्व0 तेजपाल ने अपने जवाब व शपथ पत्र बयान में इस तथ्य को तस्दीक किया है कि तेजपाल ने कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या के साथ विवाह नहीं किया है तथा ना ही मोत्या उसकी पत्नि है । इस संबंध में पुलिस

थाना द्वारा जांच करने के पश्चात् यह माना कि अपीलांट प्रेमदेवी ही स्व0 तेजपाल की विवाहिता पत्नि है । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड एवं पहचान की प्रति छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई जो कि स्व0 तेजपाल की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने कूट रचित रूप से तैयार करवाये है । रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो कि स्व0 तेजपाल के जीवनकाल में बनाया गया हो । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जा सकता था परन्तु इसके बावजूद विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने उक्त दस्तावेजात जो कि छाया प्रतियां थी को साक्ष्य स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर तहसीलदार, उनियारा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1203 दिनांक 18. 12.2007 एवं विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29. 6.2016 को अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू0एल0सी0 2010 (2) पेज 163, आर0आर0डी0 1971 पेज 348, ए0एल0आर 2002 (3) पेज 176, हिन्दू विवाह अधि0 1955 सेक्शन 7 क्लॉज (1) (8), ए0आइ0आर0 1977 बॉम्बे पेज 191, आर0आर0टी0 2002 पेज 77, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 864 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (3) पेज 1891 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । xx

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि स्व0 तेजपाल ने दो विवाह किये थे, पूर्व में श्रीमती प्रेमदेवी से विवाह किया था किन्तु श्रीमती प्रेमदेवी से अनबन रहने के कारण प्रेमदेवी तेजपाल से अलग ग्राम शिवाड़ में रहती थी जिससे तेजपाल ने बाद में रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या से हिन्दू विधि व सामाजिक संस्कार से विवाह किया था । रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या स्व0 तेजपाल की विवाहिता पत्नि है तथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 का जन्म तेजपाल से ही हुआ था । तेजपाल ने राजकीय सेवा में सेवारत रहते हुए सर्विस एवं पेंशन रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 का नाम दर्ज करवाया था । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि श्रीमती प्रेमदेवी एवं तेजपाल के मध्य अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के न्यायालय में विचाराधीन वाद में राजीनामा हो गया था तथा श्रीमती प्रेमदेवी तेजपाल से अलग रहते हुए भरण-पोषण राशि प्राप्त कर रही थी । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि राशन कार्ड एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या के पति का नाम तेजपाल अंकित है एवं इसी तरह रेस्पो0

संख्या 1 से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्रियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पिता का नाम तेजपाल व माता का नाम मोत्या देवी अंकित है जिससे भी यह स्पष्ट था कि रेस्पो0 संख्या 1 स्व0 मोत्या की पत्नि है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के सेक्शन 8 की अनुसूची 10 के नियम 1 की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि निर्वसीयत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सभी विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा । तहसीलदार, उनियारा ने उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर नामांतकरण संख्या 1203 स्वीकृत किया है तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने भी अपने निर्णय में उक्त नामांतकरण को यथावत् रखा है जो विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, उनियारा ने आदेश दिनांक 18.12.2009 द्वारा खातेदार तेजपाल नाथ की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 1203 दिनांक 18.12.2009 को औमप्रकाश, राजेश, जितेन्द्र पुत्र तेजपाल, सीमा पुत्री तेजपाल, प्रेमदेवी, मोत्या पत्नियां तेजपाल 1/5 हिस्से से दर्ज करने के आदेश पारित किये । तहसीलदार, उनियारा के नामांतकरण आदेश 1203 दिनांक 18.12.2009 के विरूद्ध विद्वान जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रेमदेवी ही मृतक तेजपाल की विवाहिता पत्नि है, मृतक तेजपाल राजकीय सेवा में था जिसकी मृत्यु उपरांत तेजपाल की पेंशन अपीलांट ही प्राप्त कर रही है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 तेजपाल की पत्नि नहीं होकर बल्कि राधेश्याम, निवासी हीरापुरा की विवाहिता पत्नि है । इसी तरह रेस्पोडेंटस की बहस में दिये गये तर्को पर भी मनन किया । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया ।

7- प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या मृतक तेजपाल की विधिक पत्नि है अथवा नहीं एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं उससे उत्पन्न संतान को विवादित सम्पति में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है । रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या देवी ने अपने कथनों के समर्थन में राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, जितेन्द्र कुमार योगी एवं राजेश कुमार योगी की बी0ए0 पार्ट-III की अंकतालिकायें, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जारी पॉलिसी, मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां पेश की है । उक्त दस्तावेजात में रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या के पति एवं जितेन्द्र तथा राजेश कुमार के पिता का नाम तेजपाल अंकित किया हुआ है । इसके विपरीत अपीलांट का कथन रहा है कि रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या मृतक तेजपाल की पत्नि नहीं थी तथा रेस्पो0 द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है वे सभी तेजपाल की मृत्यु उपरांत तैयार करवाये गये है । अपीलांट प्रेमदेवी ही मृतक तेजपाल की विवाहिता

पत्नि थी जो तेजपाल की पेंशन प्राप्त कर रही है । इस संबंध में हिन्दू विवाह अधि0 1955 की धारा 5 का अवलोकन किया गया। धारा 5-हिन्दू विवाह के लिये शर्ते- दो हिन्दुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो जाएं, अर्थात् (I) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो, (II) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार (II) (क) चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्पति देने में असमर्थ न हो, या (II)(ख) विधिमान्य सम्पति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और सन्तानोत्पति के लिये अयोग्य हो । उक्त अधिनियम के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट श्रीमती प्रेमदेवी मृतक तेजपाल की विवाहिता पत्नि थी तथा उक्त अधि0 की धारा 5 की उप धारा (I) की शर्तो के अनुसार तेजपाल दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, यदि यह मान भी लिया जाय कि तेजपाल ने रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या से विवाह कर लिया था तो भी दूसरा विवाह हिन्दू विवाह अधि0 1955 की धारा 5 (I) की शर्तो के विपरीत होने से प्रारंभ से अवैध एवं शून्य था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतक तेजपाल राजकीय सेवा में सेवारत था तथा राजकीय सेवक प्रथम पत्नि के जीवित रहते कानूनन दूसरा विवाह नहीं कर सकता था । हम अपीलांट्स के इस तर्क से सहमत है कि हिन्दू जाति के सदस्य के शादी शुदा पत्नि के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं हो सकती, यदि कोई रखता भी है तो वह अवैध पत्नी या रखेल मानी जावेगी तथा उसकी संतान भी अवैध संतान होगी तथा अवैध संतान को पुश्तैनी सम्पति में अधिकार नहीं है । उपरोक्त स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या मृतक तेजपाल की विधिक पत्नि नहीं होने से उसे मृतक की सम्पति में किसी प्रकार हक, अधिकार प्राप्त नहीं होते है ।

8- प्रकरण में द्वितीय विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या शून्य या शून्यीकरणीय विवाह से जन्मी संतान माता-पिता की सम्पति में अत्तराधिकारी है अथवा नहीं है ? इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 मृतक तेजपाल से उत्पन्न संतानें है । डब्ल्यू0एल0सी0 2010 (2) पेज 163 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि:- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 16-व्याप्ति-शून्य या शून्यीकरणीय विवाह से जन्मा बालक माता-पिता की स्वोपार्जित सम्पति में उत्तराधिकारी है किन्तु सहदायिकी सम्पति में नहीं । इस संबंध में डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) 2010 पृष्ठ संख्या 545 में मुद्रित न्यायिक सिद्धांत का अवलोकन किया गया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अवैध संतान को पुश्तैनी सम्पति में अधिकार नहीं है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा विवादित सम्पति पुश्तैनी अथवा स्वोपार्जित सम्पति होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है इसलिये रेस्पो0 संख्या 2 से 4 जो कि शून्यीकरणीय विवाह से जन्मी संताने है तथा विवादित सम्पति मृतक तेजपाल की स्वअर्जित होने की स्थिति में रेस्पो0 संख्या 2 से 4 भी डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) 2010 पृष्ठ

संख्या 545 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में मृतक तेजपाल की सम्पति में उत्तराधिकारी है ।

9- हिन्दू विवाह अधि0 1955 से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रथम पत्नि के जीवित रहते द्वितीय विवाह हिन्दू विवाह अधि0 की धारा 5 (1) के अनुसार विधिमान्य नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलांट श्रीमती प्रेमदेवी मृतक तेजपाल की विवाहिता पत्नि होकर प्रथम पत्नि थी जिसके जीवित रहते तेजपाल द्वारा मोत्या के साथ विवाह करना मान भी लिया जावे तो उक्त अधि0 की धारा 5 (1) के विपरीत होने से प्रारंभ से अवैध एवं शून्य था । इस संबंध में रेस्पो0 का यह कथन कि अपीलांट प्रेमदेवी मृतक तेजपाल से अलग रहती थी तथा उसके द्वारा भरण-पोषण का दावा प्रस्तुत कर रखा था तथा वह तेजपाल से भरण-पोषण प्राप्त कर रही थी इसलिये अपीलांट तेजपाल की पत्नि नहीं रह गई थी । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रेमदेवी द्वारा तेजपाल के विरूद्ध भरण-पोषण का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के न्यायालय में किया गया था जिसमें तेजपाल ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि अपीलांट श्रीमती प्रेमदेवी उसकी पत्नि है तथा उसने दूसरी औरत नहीं रखी है, प्रेमदेवी तेजपाल के यहां आती जाती रहती है एवं प्रार्थिया का समस्त खर्चा भरण पोषण विपक्षी अदा करता आ रहा है एवं अब प्रार्थिया एवं विपक्षी के बीच कोई विवाद नहीं रहा है, क्योंकि राजीनामा हो गया है । मुख्य सिविल न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के न्यायालय में मृतक तेजपाल द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि मृतक तेजपाल के एकमात्र पत्नि श्रीमती प्रेमदेवी ही थी । तेजपाल के एक पत्नि होने के संबंध में स्वंय तेजपाल की स्वीकारोक्ति से बढ़कर कोई साक्ष्य नहीं है किन्तु तहसीलदार, उनियारा ने नामांतकरण की कार्यवाही करते समय हिन्दू विवाह अधि0 1955 का अवलोकन किये बिना उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर नामांतकरण की कार्यवाही की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 मोत्या मृतक तेजपाल के विधिक पत्नि नहीं होने से श्रीमती मोत्या मृतक तेजपाल के विधिक वारिसान की श्रेणी में नहीं होने से उसे विवादित सम्पति में किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान जिला कलक्टर, टोंक ने भी प्रथम अपील में उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांटस की अपील खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा तहसीलदार, उनियारा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1203 दिनांक 18.12.2007 एवं विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2016 विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 93/2016 (2016/00079) बउनवानी प्रेमदेवी बनाम मोत्या वगैरह को आंशिक रूप से स्वीकार किया

जाता हैं तथा विद्वान जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपील संख्या 2/2009 बउनवानी प्रेमदेवी बनाम मोत्या में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2016 एवं तहसीलदार, उनियारा द्वारा पारित नामांतकरण आदेश 1203 दिनांक 18. 12.2007 अपास्त किये जाते है तथा पत्रावली तहसीलदार, उनियारा को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित भूमि मृतक तेजपाल की पुश्तैनी थी अथवा स्वअर्जित इस संबंध में जांच करे, यदि जांच में विवादित भूमि पुश्तैनी पायी जावे तो अपीलांट्स के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही करे, अथवा यदि विवादित भूमि मृतक तेजपाल की स्वअर्जित पायी जावे तो अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पक्ष में नामांतकरण की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर